FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकामं

(नियम 26)

न अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

वादी कानजी बनाम प्रतिवादी शांति

रस मुकदमा–(वाद पत्र) 188, 209 प्रकरण संख्या– 2022/23 20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-3-2022	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश । वादी श्री कानजी पिता मानजी जाति भील निवासी ग्राम गलवानिया द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 RTA विरूद्ध प्रतिवादीगण श्री शांति पिता स्वर्गीय [illegible] जाति भील निवासी पिपलोद के पेश किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 21-4-2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
21-4-2022	पत्रावली पेश। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जारी सम्मन लेने से इन्कार का मार्क। प्रति क्र. 2 के नाम जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त। सम्मनों को शामिल मिसल किया। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29-4-2022 को पेश हो।	
29-4-2022	पत्रावली पेश। वादी अधि. उप.। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27-5-2022 को पेश हो। [illegible] पी.ओ. साहब का [illegible] है।	
27-5-2022	पत्रावली पेश। वादी अधि. उप.। प्रति.गण के नाम जारी सम्मन [illegible] इन्कार करने से इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 27-5-2022 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chand Regar
Date: 2023.02.22 13:42:27 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.10.22	पत्रावली पेश वर्ते अध्ययन उपस्थित पत्रावली वास्ते पुनः बहस। अतिरिक्त आगामी दिनांक 9.11.22 को पेश हो।	
9.11.2022	पत्रावली पेश हुई वादी वकील उपस्थित। पुनः बहस हेतु पत्रावली दिनांक 14-11-2022 को पेश हो।	
14.11.2022	पत्रावली पेश हुई वादी वकील अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते पुनः बहस दिनांक 30-11-2022 को पेश हो।	
30.11.2022	पत्रावली पेश हुई प्रतिवादी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते पुनः बहस दिनांक 14-12-2022 को पेश हो।	
14.12.2022	पत्रावली पेश हुई वादी वकील अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11-1-2023 को पेश हो।	
11.1.2023	पत्रावली पेश हुई वादी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते पुनः बहस दिनांक 15.2.2023 को पेश हो।	
15.2.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण वादी उप० आये। पत्रावली पर पुनः बहस सुनी गई। बहस की जाकर पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन का अध्ययन किया तथा गुणावगुण पर विचार किया। वादी ने वाद पत्र की पैरा सं. 2 पैरा A.4 व अनुतोष में बकाया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.02.22 13:42:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या– 2022/23 दायर दिनांक– 24.03.22

उनवान

1.कानजी पिता मावजी,
जाति भील, आयु वयस्क, निवासी ग्राम मलवासा, पटवार हल्का बोरवट, तहसील व जिला बांसवाडा राजस्थान। **(वादी)**

बनाम

1.शान्ति पिता खातिया मईडा, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलोद, तहसील व जिला बांसवाडा
2.तहसीलदार, तहसील व जिला बांसवाडा **(प्रतिवादीगण)**

उपस्थिति

राजेन्द्र पाटीदार अधिवक्ता वादी

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.ए

–:निर्णय:– दिनांक:– 15.02.23

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मलवासा पटवार हल्का पाडीकला में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 558 नया 213 पुराना के खसरा नंबर 136/1 रकबा 0.0405 है0 के [illegible] 1552/134 रकबा 0.1214 है0 तथा खसरा नंबर 1564/629 रकबा 0.0971 है0 एवं 1574/138/1 रकबा 0.1618 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.4208 है0 वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।

1 माह पूर्व खसरा नंबर 1574/138/1 की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ने जबरन प्रवेश कर अतिक्रमण कर लिया है बाद समझाईश भी वह नहीं मान रहा है इस संबंध में वादी ने कानजी जिला पुलिस अधिक्षक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। वादीगण के पास प्रश्नगत आराजियात के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबरन कब्जा कर लेने के कारण वादीगण को अपनी कृषि भूमि से महरूम होना पड रहा है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जब रन किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाकर उसका कब्जा वादीगण को सुपुर्द नहीं किया गया जो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नंबर 1574/138/1 पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अनाधिकृत रूप से किये अवैध कब्जे को उसके स्वयं के खर्चे से हटवाकर वादी को कब्जा दिलवाया जाए तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी की खातेदारी की प्रश्नगत आराजियात पर बाधा उत्पन्न न करे जबरन प्रवेश न करे तथा किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे तथा न ही किसी अन्य से करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] हेतुक प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया प्रतिवादी बाद तामिल अनुपस्थित रहने [illegible] विरुद्ध 1 पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी पर नियत [illegible]ई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी के रूप में कानजी पिता श्री माव[illegible] किये उक्त साक्ष्य [illegible] में कानजी पिता मावजी ने शपथ–पत्र में [illegible]–1 जमाबंदी संवत् 2074 77 तथा प्रदर्श–2 नक्शा जो कि प्रमाणित नहीं है अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयानात् में स्वीकार कर प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर अंकित किये पत्रावली पर बहस एक पक्षीय अधिवक्ता वादी सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.02.22 13:42:27 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने किया की वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजियात हमारी खातेदारी की होकर काबिज काश्त है। अतः अनुतोष के अनुसार वाद स्वीकार कर डिक्री फरमावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया तथा वादी अधिवक्ता वादी की बहस पर गौर किया।

वादपत्र की पैरा संख्या 2 में वर्णित संयुक्त में से खसरा नम्बर 1574/138/1 के संबंध में वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जबरन प्रवेश कर कब्जा कर अतिक्रमण करने का अभिकथन किया है। पैरा संख्या 4 में अवैध अतिक्रमण को हटाकर उसका कब्जा वादी के सुपुर्द करने का कथन किया। वादी ने अनुतोष के पैरा में प्रश्नगत खसरा 1574/138/1 रकबा 0.1618 है0 पर प्रतिवादी संख्या के द्वारा अवैध कब्जा करना तथा उस कब्जे को प्रतिवादी संख्या के स्वयं के खर्चे से ही हटवाई जाने तथा प्रश्नगत भूमि पर कब्जा वादीगण को दिलाई जाने का अभिकथन किया है।

इस प्रकार साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र **PW-1** कानजी पिता मावजी ने अपने शपथ–पत्र में सशपथ प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा कब्जा कर लेना तथा उस कब्जे को हटवाकर कब्जा दिलवाने का अभिकथन किया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा में स्पष्ट प्रावधान है कि एक खातेदार काश्तकार जिसका उसकी खातेदारी भूमि पर कब्जा होना चाहिए प्रश्नगत आराजी पर कब्जा किसी अन्य का होने से वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम में पोषणीय नहीं है। यदि वादी उनके द्वारा की गई अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए विधि के सुसंगत प्रावधानों के तहत अनुतोष कब्जा प्राप्त कर सकता है।

चूंकि धारा 188 में कब्जा हटवा कब्जा दिलवाने का प्रावधान नहीं है। अतः वाद वादी इस धारा में पोषणीय नहीं होने से वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय टंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/2/23

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.02.22 13:42:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाडा व इजलास : प्रकाश चन्द्र रेगर(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 2022/23

उनवान

1.कानजी पिता मावजी,
जाति भील, आयु वयस्क, निवासी ग्राम मलवासा, पटवार हल्का बोरवट, तहसील व जिला बांसवाडा राजस्थान। **(वादी)**

बनाम

1.शान्ति पिता खातिया मईडा, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलोद, तहसील व जिला बांसवाडा
2.तहसीलदार, तहसील व जिला बांसवाडा **(प्रतिवादीगण)**

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.ए

–:निर्णयः–

दिनांकः– 15.02.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। अतः वाद वादी इस धारा में पोषणीय नहीं होने से वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तदनुसार इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 15.02.23 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.02.22 13:42:27 IST
Reason: SelfAttested

15/2/23

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)